CEP LL BINDE

EXECUTIVE PROGRAMME ON COOPERATION IN THE FIELDS OF THE ARTS, HERITAGE, ARCHIVES AND LIBRARY BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE YEARS 2015-2018

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Singapore, (hereinafter referred to as "the Parties"),

Pursuant to the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Singapore, concerning cooperation in the fields of the arts, heritage and the archives, signed on 5th February 1993 in New Delhi,

Have reached the following understandings on the following projects in the fields of the arts, heritage, archives and the library:

I. ARTS

- 1. The "Year of India" in Singapore was celebrated in 2014-15 and the "Year of Singapore" in India in 2015.
- 2. The People's Association (PA) of Singapore invited India to participate in the Chingay Parade in Singapore in 2015. PA provided local hospitality to 41 performers from India, including their accommodation and transportation of performers and equipment.
- 3. The Parties will exchange a team of 5 to 6 writers on a reciprocal basis. Details of such visits will be mutually agreed upon between the concerned institutions through diplomatic channels.
- 4. The Parties will collaborate to showcase suitable artists or arts groups in the performing, visual or literary arts on a reciprocal basis. The receiving Party will facilitate the efforts of the sending Party through the appropriate agencies in the respective countries by providing venues and technical support. Details of such visits will be mutually agreed upon between the concerned institutions through diplomatic channels.

II. MUSEUMS

 The Asian Civilisations Museum (ACM) of Singapore will seek artefact loans for exhibitions, skills development and training exchanges with various museums and institutions in India, including the Archaeological Survey of India. The ACM will enter into separate agreements with its partners for this purpose.

- 2. The Indian Heritage Centre (IHC) of Singapore will seek artefact loans for exhibitions, seminars, skills development and training exchanges with various museums and institutions in India. The IHC will enter into separate agreements with its partners for this purpose.
- 3. The Singapore Art Museum (SAM) and the National Gallery of Modern Art (NGMA) of India will explore the possibility of exchanging travelling exhibitions on Southeast Asian and Indian contemporary art respectively.
- 4. ACM, IHC and SAM will also explore the possibility of collaborative partnerships with relevant institutions in India in the areas of, but not limited to, exhibition exchanges, programme development, educational exchanges or dialogues, information sharing platforms and artist residencies.
- 5. The National Gallery Singapore (NGS) will explore the possibility of collaboration—with NGMA such as through the signing of a Memorandum of Understanding.
- 6. The Nalanda-Sriwijaya Centre (NSC) at the Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) of Singapore will enter into an agreement with the Asiatic Society Kolkata (ASK) to jointly digitise and publish a catalogue of Southeast Asian and Chinese manuscripts at the latter institution.
- 7: The NSC will seek to collaborate with the Indian Museum, Kolkata, to digitise and publish a catalogue of artefacts relating to art, archaeology, anthropology, geology, botany and zoology in Southeast Asia housed at the latter institution.
- 8. The National Heritage Board (NHB) of Singapore will receive and provide support to exhibitions (including venue and technical support) from India in the fields of Buddhist Art, Contemporary Art, Textiles, and Design, among others. The NHB will also collaborate with relevant institutions in India by sharing information and supporting exhibitions/projects on India's connections, including maritime links, with Southeast Asia. The details of each of these exhibitions/projects will be finalised through discussions and separate agreements between the concerned institutions.

III. ARCHIVES

- 1. Subject to arrangements to be discussed and agreed upon:
 - A. The National Archives of Singapore (NAS) and the National Archives of India (NAI) will endeavour to:
 - (a) promote on the basis of reciprocity, the establishment of mutual access to archival records of relevance and interest to each other;
 - (b) promote sharing of archival knowledge for mutual benefit in the various areas of archives including conservation and records management; and
 - (c) collaborate on exhibitions and publications of mutual interest so as to deepen understanding and friendship between the two countries.
 - B. The NAS and the NAI, in conjunction with the West Bengal State Archives, will explore collaboration to identify and digitise archival records pertaining to India's interactions with Southeast Asia prior to 1947.
- 2. Separate memoranda of understanding between NAI/West Bengal State Archives and NAS will be formulated for any of the arrangements set out above.

IV. MONUMENTS

1. NHB will seek to collaborate with Archaeological Survey of India (ASI) on restoration projects involving Singapore's monuments of South Indian or Chulia origins. Such collaboration may include training exchanges for monument preservation professionals and knowledge exchange in monument preservation and conservation. The details of such collaborations/projects will be finalised through discussions and separate agreements between NHB and ASI.

V. LIBRARY

1. The Parties will carry out an exchange of books, journals, other teaching aid materials on the social, cultural, economic, business and finance aspects between the National Library Board of Singapore and the National Library, Kolkata and other libraries in India.

- 2. The Parties will establish mutual access to collections and databases between the National Library Board of Singapore, the National Library of India and other Libraries in India. This can be done through exchange of catalogues, digitisation of content, and establishment of mutually beneficial library services that include document delivery, inter-library loans and information search and packaging.
- 3. The Parties will at their discretion organise exhibitions and display their exhibits—at the premises of the other Party within the terms and conditions to be agreed in—a separate loans and exhibition contract which will include the following:
 - (a) scope and contents for the collaboration; and
 - (b) methodology and funding for the collaboration.

VI. EXCHANGE OF TECHNICAL EXPERTS

1. The Parties will exchange technical experts in the fields of the arts, heritage, archives and library on a reciprocal basis. Museum professionals from Singapore could participate in the relevant short-term training courses at the National Museum Institute (NMI) in New Delhi or other similar institutions in India. Similarly, professionals and experts from India could participate in training conducted by the NHB. The terms and conditions of these exchanges will be mutually agreed to between the concerned institutions.

VII. EXCHANGE OF STUDENTS

1. The Parties will facilitate the exchange of students between educational institutions such as the National School of Drama in India and similar institutions in Singapore on a reciprocal basis. The terms and conditions of these exchanges will be mutually agreed upon in advance between the concerned institutions.

VIII. GENERAL AND FINANCIAL TERMS

1. The general and financial provisions appended hereto form an integral part of this document.

IX. MISCELLANEOUS

1. The Executive Programme under this document will be effective immediately on being signed by both Parties and will remain valid

till 31st December, 2018. The Programme can be renewed at the request of either Party.

2. For the avoidance of doubt, this document does not create any legal obligations on the part of any of the Parties.

Done in Singapore on the 24th day of November, 2015 in two originals each in Hindi and English, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text will prevail.

For the Government of the Republic of India

For the Government of the Republic of Singapore

THE GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS GOVERNING THE EXCHANGES UNDER THE EXECUTIVE PROGRAMME BETWEEN

INDIA AND SINGAPORE FOR THE YEARS 2015 - 2018

This document provides for the General and Financial arrangements when one Party ("the sending state") sends participants or exhibits to the other Party ("the receiving state").

Exchange of General Visits

The default arrangements for all exchange of general visits between Singapore and India are as follows:

- (a) The delegation will be proposed by the sending party;
- (b) The sending party will provide the receiving party, the following items:
 - i) Names of the persons comprising the delegation;
 - ii) Proposed programme of the visit; and
 - iii) The date and the foreseen duration of the visit.
- (c) The sending party will cover the accommodation, international and local travel expenses for the delegation. The sending party will provide its delegation with a daily allowance according to rates stipulated by prevailing guidelines for the duration of the visit:
- (d) The receiving party will cover the other in-country expenses incurred in organising the visit; and
- (e) For each exchange, the detailed arrangements as regards the above matters are to be worked out and mutually agreed upon by the sending party and the receiving party in advance.

2. Exchange of Exhibitions

The financial provisions and modalities for exhibition exchanges will be mutually agreed upon for each exchange.

3. Exchange in Skills Development and Training

The financial provisions and modalities for skills development and training exchanges will be mutually agreed upon for each exchange.

भारत गणराज्य की सरकार तथा सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच वर्ष 2015-2018 के लिए कला, विरासत, अभिलेखागार और पुस्तकालय के क्षेत्र में सहयोग के लिए कार्यकारी कार्यक्रम

भारत गणराज्य की सरकार तथा सिंगापुर गणराज्य की सरकार, (जिन्हें इसमें आगे "दोनों पक्षा" के रूप में संदर्भित किया गया है),

भारत गणराज्य की सरकार तथा सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच कला, विरासत और अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित दिनांक 5 फरवरी, 1993 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित समझौता-जापन के अनुसरण में.

कला, विरासत, अभिलेखागार और पुस्तकालय के क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाओं पर सहमत हुए हैं :

I. HMT

- सिंगापुर में वर्ष 2014-15 में 'भारत वर्ष' मनाया गया था। भारत में 'सिंगापुर वर्ष'
 2015 में मनाया गया था।
- 2. पीपुल्स एसोसिएशन (पीए), सिंगापुर ने 2015 में सिंगापुर में चिन्गेय परेड में भाग लेने के लिए भारत को आमंत्रित किया। पीए ने भारत के 41 कलाकारों को आवास व्यवस्था तथा इन कलाकारों और उपस्करों के लिए परिवहन सहित स्थानीय आतिथ्य प्रदान किया।
- 3. दोनों पक्ष, परस्पर आधार पर 5 से 6 लेखकों के एक दल का आदान-प्रदान करेंगे। ऐसे दौरों के ब्यौरे राजनियक चैनलों के माध्यम से संबंधित संस्थाओं के बीच परस्पर सहमति से तय किए जाएंगे।
- 4. दोनों पक्ष, परस्पर आधार पर मंच, दृश्य अथवा साहित्यिक कलाओं में यथोचित कलाकारों अथवा कला समूहों को प्रदर्शन करने के लिए सहयोग करेंगे। मेजबान पक्ष, स्थल व्यवस्था और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हुए संबंधित देशों में समुचित एजेंसियों के माध्यम से प्रेषक पक्ष के प्रयासों को सुगम बनाएगा। ऐसे

दौरों के ब्योरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से संबंधित संस्थाओं के बीच परस्पर सहमति से तय किए जाएंगे।

II. संग्रहालय

- 1. 'एशियाई सभ्यता संग्रहालय' (एसीएम), सिंगापुर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सहित भारत स्थित विभिन्न संग्रहालयों और संस्थाओं के साथ प्रदर्शनियों के लिए पुरावस्तुओं को ऋण स्वरूप प्राप्त करने का प्रयास करने के साथ-साथ कौशल विकास और प्रशिक्षण संबंधी आदान-प्रदान करेगा। एसीएम, इस उद्देश्य के लिए अपने भागीदारों से अलग से करार करेगा।
- 2. भारतीय विरासत केंद्र (आईएचसी), सिंगापुर भारत में प्रदर्शनियों सेमिनार, कौशल विकास हेतु पुरावस्तुओं के ऋण हेतु और प्रशिक्षण आदान-प्रदान में सहयोग के लिए प्रयास करेगा। इस उद्देश्य के लिए आईएचसी इसके भागीदारों के साथ अलग से करार करेगा।
- 3. सिंगापुर कला संग्रहालय (एसएमए), सिंगापुर और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए) क्रमशः दक्षिण पूर्व एशियाई और भारतीय समकालीन कला पर चल प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान करने संबंधी संभावनाओं का पता लगाएंगे।
- 4. एसीएम, आईएचसी तथा एसएएम, प्रदर्शनी आदान-प्रदान, कार्यक्रम विकास, शिक्षा संबंधी आदान-प्रदान या संवाद, सूचना साझा करने संबंधी मंचों और कलाकारों के आवास व्यवस्था के क्षेत्रों में भारत की संगत संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक भागीदारी की संभावना का भी पता लगाएगा, परंतु ये सहयोग इन तक ही सीमित नहीं होंगे।
- 5. द नेशनल गैलरी सिंगापुर (एनएससी) एक समझौता जापन पर हस्ताक्षर करते हुए एनजीएमए के साथ सहयोग की संभावना का पता लगाएगी।
- 6. दक्षिण-पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान (आईएसईएएस), सिंगापुर में स्थित नालंदा श्रीविजय सेन्टर एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता (एएसके) के साथ उत्तरवर्ती संस्थान में दक्षिण पूर्व एशियाई और चीनी पांडुलिपियों की एक सूची संयुक्त रूप से अंकीकृत और प्रकाशित करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करेगा।
- 7. एनएससी, भारतीय संग्रहालय, कोल्रकाता के साथ उत्तरवर्ती संस्थान में अवस्थित दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित पुरावस्तुओं को अंकीकृत करने और एक सूची

- प्रकाशित करने के लिए सहयोग का प्रयास करेगा (कला, पुरातत्व विज्ञान, मानव विज्ञान, भू-विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और प्राणी विज्ञान)।
- 8. राष्ट्रीय विरासत बोर्ड (एनएचबी), सिंगापुर अन्य चीजों के साथ-साथ बौद्ध कला, समकालीन कला, वस्त्र और डिजाइन के क्षेत्र में भारत से प्रदर्शिनियों (स्थल व्यवस्था और तकनीकी सहायता सिंहत) की मेजबानी करेगा और सहायता प्रदान करेगा। एनएचबी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सामुद्रिक सम्पर्कों समेत, भारत के संबंधों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा प्रदर्शनियों/परियोजनाओं में सहायता के द्वारा भारत में संगत संस्थानों के साथ सहयोग भी करेगा। इन प्रत्येक प्रदर्शनियों के ब्यौरे संबंधित संस्थाओं के बीच विचार-विमर्श और पृथक करार के माध्यम से निर्धारित किये जाएंगे।

III. अभिनेखागार

- 1. विचार-विमर्श और सहमत व्यवस्था के अध्यधीन
 - क. सिंगापुर का राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएएस) और भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) निम्नलिखित हेत् प्रयास करेंगे :-
 - (क) दोनों पक्ष, परस्पर आधार पर, एक-दूसरे से संबंधित और हित के अभिलेखीय रिकार्डी की आपसी पहुंच की व्यवस्था को बढ़ावा देंगे;
 - (ख) दोनों पक्ष, संरक्षण और रिकार्ड प्रबंधन सहित अभिलेखागारों के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर लाभ के लिए अभिलेखीय ज्ञान की भागीदारी को बढ़ावा देंगे: और
 - (ग) दोनों पक्ष, परस्पर हित की प्रदर्शनियों और प्रकाशनों पर सहयोग करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच समझ-बूझ तथा मित्रता और प्रगाढ़ हो सके।
 - ख. एनएएस और एनएआई, पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार के साथ मिलकर 1947 से पहले दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के परस्पर संबंधों से संबंधित अभिलेखीय रिकार्डों की पहचान करने और अंकीकृत करने के लिए सहयोग का पता लगाएंगे।
- 2. उपर्युक्त निर्धारित किसी भी व्यवस्था के लिए एनएआई / पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार और एनएएस के बीच एक अलग समझौता-जापन तैयार किया जाएगा।

IV. स्मारक

1. एनबीएच दक्षिण भारतीय या चूलिया उत्पति के सिंगापुर के स्मारकों को शामिल करते हुए जीणींद्वार परियोजनाओं पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ सहयोग का प्रयास करेगा। ऐसे सहयोग में स्मारक परिरक्षण व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण संबंधी आदान-प्रदान तथा स्मारक परिरक्षण और संरक्षण में जान के आदान-प्रदान को शामिल किया जा सकता है। ऐसे सहयोगों/परियोजनाओं के ब्योरे एनबीएच और एएसआई के बीच परामर्श और पृथक करारों के माध्यम से तय किए जाएंगे।

V. पुस्तकालय

- दोनों पक्ष, सिंगापुर के राष्ट्रीय पुस्तकालय बोर्ड तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता और भारत के अन्य पुस्तकालयों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारिक और वित्तीय पहलुओं पर पुस्तकों, पिकाओं और अन्य शिक्षण सहायक सामग्रियों का आदान-प्रदान करेंगे।
- 2. दोनों पक्ष, सिंगापुर के राष्ट्रीय पुस्तकालय बोर्ड तथा भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय और भारत के अन्य पुस्तकालयों के बीच संग्रहों और डाटाबेसों के लिए पारस्परिक पहुंच की व्यवस्था करेंगे। इस उद्देश्य को, सूची पत्रों के आदान-प्रदान, विषय-सूची का डिजिटीकरण, परस्पर हितकारी पुस्तकालय सेवाएं स्थापित करके, जिसमें दस्तावेज प्रदायगी, अंतर-पुस्तकालय ऋण व्यवस्था और सूचना खोज और पैकेजिंग शामिल हैं, के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- 3. दोनों पक्ष, अलग से ऋण एवं प्रदर्शनी करार में सहमत निबंधन और शर्तों के अंतर्गत एक-दूसरे के परिसर में अपने विवेकाधीन प्रदर्शनियां आयोजित करेंगे और उन्हें प्रदर्शित करेंगे, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-
 - क) सहयोग के लिए कार्य-क्षेत्र और विषय-वस्तु, और
 - ख) सहयोग के लिए कार्य-प्रणाली और वित्तपोषण।

VI. तकनीकी विशेषजों का आदान-प्रदान

1. दोनों पक्ष, पारस्परिक आधार पर कला, विरासत, अभिलेखागार और पुस्तकालय के क्षेत्रों में तकनीकी विशेषजों का आदान-प्रदान करेंगे। सिंगापुर के संग्रहालय व्यावसायिक भारत में राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान (एनएमआई), नई दिल्ली अथवा भारत और सिंगापुर के बीच वर्ष 2015-2018 की अविध के लिए कार्यकारी कार्यक्रम के अंतर्गत आदान-प्रदान को अधिशासित करने वाले सामान्य तथा वित्तीय प्रावधान

यह दस्तावेज उन सामान्य और वित्तीय प्रावधानों का उल्लेख करता है जब एक पक्ष (प्रेषक देश), दूसरे पक्ष (मेजबान देश) को भागीदारों अथवा प्रदर्शनियों को भेजता है।

1. सामान्य दौरों का आवान-प्रदान

सिंगापुर और भारत के बीच सामान्य दौरों के समस्त आदान-प्रदान की व्यवस्था निम्नानुसार होगी:

- (क) प्रतिनिधि मण्डल प्रेषक पक्ष दवारा प्रस्तावित किया जाएगा;
- (ख) प्रेषक पक्ष, मेजबान पक्ष को निम्नितिखित बातों की जानकारी प्रदान करेगा:
 - i) प्रतिनिधि मण्डल में शामिल लोगों के नाम;
 - ii) दौरे का प्रस्तावित कार्यक्रमः और
 - iii) दौरे की तारीख और संभावित अवधि।
- (ग) प्रेषक पक्ष प्रतिनिधिमण्डल के आवास, अन्तरराष्ट्रीय एवं स्थानीय यात्रा खर्ची का वहन करेगा। प्रेषक पक्ष दौरे की अवधि के दौरान मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार अपने प्रतिनिधिमंडल को दैनिक भत्ते प्रदान करेगा।
- (घ) मेजबान पक्ष दौरे के आयोजन में होने वाले अन्य अन्तर्देशीय खर्ची का वहन करेगा।
- (ङ) प्रत्येक आदान-प्रदान दौरे के लिए, अग्रिम रूप से उपरोक्त मामलों के संबंध में विस्तृत व्यवस्थाओं को प्रेषक पक्ष और मेजबान पक्ष द्वारा पारस्परिक सहमति के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

2. प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान

प्रदर्शनियों के आदान-प्रदान हेतु वित्तीय प्रावधानों और तौर-तरीकों को प्रत्येक आदान-प्रदान के बिए पारस्परिक सहमति से तय किया जाएगा।

3. कौशल विकास और प्रशिक्षण संबंधी आदान-प्रदान

कौशल विकास और प्रशिक्षण संबंधी आदान-प्रदान हेतु वित्तीय प्रावधानों और तौर-तरीकों को प्रत्येक आदान-प्रदान के लिए पारस्परिक सहमति से तय किया जाएगा।

